



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com



RPCB/RO NGR/PUB-186/ 2239 - 2243

Date: 11/01/24

M/s Rajasthan State Mines & Minerals Limited
(Govt of Rajasthan Enterprises),
Bhadwasi Gypsum Mine, Plot No.-63, Indra Colony, Nagaur, Rajasthan-341002.
Email- info.rsmml@rajasthan.gov.in
info.mining@3s.in.net

Sub.- Public hearing for Environmental Clearance for "Proposed Gypsum, Clay (Other), Ochre & Masonry Stone (Minor Mineral) Mining Projects along-with Proposed capacity of the Crusher Plant is -300 TPH, Applied by M/s Rajasthan State Mines & Minerals Limited (Govt of Rajasthan Enterprises), M.L. No.- 02/1994, Total Lease Area- 1122.38 Hectare (Proposed Mining Area 572.33 Hectare of B- Block), with the Proposed production capacity- 6.9975 Million TPA (ROM) {Gypsum- 3.9600 Million TPA & Clay (Other), Ochre, Masonry Stone - 2.1263 Million TPA & Waste- 0.9112 Million TPA}, Located at Near Village- Bhadwasi, Tehsil & District -Nagaur (Raj)."

Ref.-1. Letter no. 337 dated 10.01.2024 issued by the District Collector, Nagaur.
2. This Office letter no.2204-06 dated 08.01.2024.
3. TOR issued by SEIAA File No. F1 (4)/SEIAA/SEAC-Raj/Seect/Project/Cat.B1 (23611)/2023-24, Dated 06-12-2023.


Sir,

In reference to above it is submitted that in compliance to, District Collector, Nagaur office letter no. 337 dated 10.01.2024 in which public hearing has been finalized on dated 19.02.2024 at 12.00 PM.

Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper (All editions) and one regional daily newspaper (Hindi-All editions) in any case on or before 18.01.2024. The newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Government primary school, Pilanvasi, Tehsil-Nagaur, Distret-Nagaur At 12.00 PM on 19.02.2024 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely,


(Savita)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The District Collector, Nagaur in compliance to your letter no 337 dated 10.01.2024
3. The Sub Divisional Magistrate, Nagaur.
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.


Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक:- राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-186/2239-2243


दिनांक: 11/01/24

पर्यावरणीय स्वीकृति जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि " प्रस्तावित जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना आवेदक मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राइजेज) M.L. No. 02/1994 , कुल क्षेत्र- 1122.38 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन क्षेत्र 572.33 हेक्टेयर बी-ब्लॉक का) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 6.9975 MTPA (ROM), (जिप्सम - 3.9600 मिलियन टी.पी.ए., क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) - 2.1263 मिलियन टी.पी.ए. तथा वेस्ट- 0.9112 मिलियन टी.पी.ए.), प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. गांव-भदवासी, तहसील-नागौर, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जिप्सम, क्ले (अन्य), ऑकर एवं मैसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन मय प्रस्तावित क्रैशर प्लांट क्षमता 300 टी.पी.एच. परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
- और चूंकि मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (राजस्थान सरकार एन्टरप्राइजेज) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
- उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 - जिला कलक्टर, नागौर।
 - CEO जिला परिषद् नागौर।
 - राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
 - उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
 - तहसीलदार, नागौर।
 - क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
 - जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
 - ग्राम पंचायत, भदवासी।
 - राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील- नागौर, जिला-नागौर।
 - बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/337 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2024 (सोमवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान- राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलनवासी, तहसील- नागौर, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी